संख्या : 99/2018/2824/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2014

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौघोगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांकः 10 अगस्त, 2018**

विषय- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 2000 क्षमता के आडिटोरियम के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मा०प्रौ०वि०/निर्माण/311/2017, दिनांक 15.12.2017, पत्रांक-मा०प्रौ०वि०/कुस०का०/मेमो/2018 दिनांक 27.03.2018 एवं पत्रांक-मा०प्रौ०वि०/निर्माण/499/2018 दिनांक 03.07.2018 का कृपया संदर्भ लें, जिसके द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 2000 क्षमता के आडिटोरियम के निर्माण हेतु 1844.38 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए उक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-487/सोलह-1-2015-9(बजट-3)/2014, दिनांक 26.03.2015 द्वारा रू 917.16 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 458.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-3048/सोलह-1-2015-9(बजट-3)/2014, दिनांक 15.09.2015 द्वारा रू 459.16 लाख अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित लागत रू 917.16 लाख को पुनरीक्षित कर 1488.27 लाख अनुमोदित किया गया है। अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल **मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 2000 क्षमता के आडिटोरियम के निर्माण हेतु रू 1488.27 लाख (रूपये चौदह करोड़ अट्ठासी लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतर की धनराशि रू 571.11 लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रू 74.41 लाख रोकते हुए **अनुदान संख्या-47 से रू 397.34 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू 99.36 लाख अर्थात् कुल रू 496.70 लाख (रूपये चार करोड़ छियान्बे लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी तथा संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(10) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की लागत को आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय संस्था का होगा।

(15) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(16) प्रश्नगत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों का परीक्षण यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल इत्यादि कार्यों हेतु सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो उक्त स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये, जो लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में फर्नीचर हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रू 130.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(18) प्रायोजना के अंतर्गत ए०सी० डक्टिंग, डी०जी० सेट, डबल स्किल रूफिंग, फर्नीचर की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित करते हुए इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त कर निर्माण के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(19) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि रू 397.34 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-04-मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 99.36 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-952/दस-2018, दिनांक 06.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या: 99/2018/2824/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2014</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(4) प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
(5) अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०, समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, गोरखपुर।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
(7) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
(9) समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
(10) वित्त ई-11/आय-व्ययक अनुभाग-1
(11) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।